

# टॉक आवासीय योजना में व्यावसायिक भूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

## भव्य नीलामी

मुहरबन्द निविदा प्राप्त करने की तिथि  
**09.11.2010 से 15.11.2010**  
दोपहर 2.00 बजे तक  
कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में

मुहरबन्द निविदा खोलने की तिथि  
**15.11.2010**  
दोपहर 3.00 बजे

क्र. सं.	मोहरबंद नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर	न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रति वर्ग मीटर	बिड के साथ संलग्न की जाने वाली अमानत राशि रु.
1.	S18*, S21, S27**, S28 S29, S30* S40, S41, S42, S49, S50, S52*	18.00	11500/-	20700/-
2.	S20 (Corner)	31.20	12500/-	39000/-
3.	S59**, S60, S61, S62, S63	13.50	11500/-	15600/-

\*अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित \*\*अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षित

### निर्धारित प्रारूप

निविदादाता का नाम .....  
पत्र व्यवहार का पता .....  
स्थायी पता .....  
..... दूरभाष : .....  
आयकर का पेन नम्बर .....  
योजना का नाम : टॉक आवासीय योजना  
व्यावसायिक भूखण्ड संख्या :   
(जिसके लिए मोहरबंद निविदा प्रेषित की जा रही है)  
निविदादाता द्वारा लगाई गई बोली रु. :   
संलग्न अमानत राशि रु. ....  
ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक .....  
बैंक का नाम .....

आवेदक का फोटो  
नोटरी/राजपत्रित  
अधिकारी से  
प्रमाणित

हस्ताक्षर निविदादाता

**मुहरबंद प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :** 1. नीलामी में व्यावसायिक भूखण्ड क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव क्रय राशि दर्शाते हुये मुहरबन्द निर्धारित प्रपत्र में बंद कर लिफाफे में संबंधित खण्ड कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे पर जिस व्यावसायिक भूखण्ड हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना एवं प्रस्ताव प्रपत्र पर आवेदन कर्ता का पासपोर्ट साईज फोटो नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर लगाया जाना आवश्यक है। 2. क्रेता को उपरोक्त सारणी में वर्णित अमानत राशि का ड्राफ्ट जो “ राजस्थान आवासन मण्डल ” के पक्ष में टॉक स्थित बैंक शाखा में देय हो संलग्न करना होगा।

**मुहरबंद नीलामी की शर्तें :** 1. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त मुहरबंद प्रस्तावों को खोला नहीं जायेगा एवं सभी प्रस्ताव निरस्त समझे जावेंगे। 2. अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट रहित प्रस्ताव निरस्त किये जाएंगे चाहे उनमें प्रस्तावित क्रय मूल्य अधिकतम ही क्यों न हों। 3. सशर्त विक्रय प्रस्ताव सीधे ही निरस्त समझे जायेंगे। 4. प्राप्त प्रस्ताव उपस्थित प्रस्तावकों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मंडल द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा प्रकाशित दिनांक को दोपहर 03.00 बजे खोले जावेंगे। 5. अधिकतम मूल्य के प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को उच्चतम क्रय मूल्य की प्रस्ताव के साथ जमा अमानत राशि को समायोजित करते हुए 25 प्रतिशत राशि 24 घण्टे की अवधि में टॉक स्थित बैंक शाखा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। उक्त निर्धारित दिवस पर अपरिहार्य कारणों से राजकीय अवकाश होने की अवस्था में यह राशि अलगे दिवस में जमा करानी होगी। 6. निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में अमानत राशि सहित सभी जमा राशियां जब्त करते हुए सम्बन्धित निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। 7. किसी भी मोहरबंद प्रस्ताव/सभी प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 8. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध सम्पत्ति हेतु मोहरबंद प्रस्ताव सम्बन्धित निविदा प्राप्ति अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जावेंगे यदि किसी योजना में उपलब्ध भूखण्ड का प्रस्ताव निर्दिष्ट निविदा प्राप्ति अधिकारी को नहीं देकर किसी अन्य अधिकारी को दिया जाता है तो उसे निरस्त माना जायेगा। 9. आवंटन पत्र में स्वीकृत निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियां (लीज राशि, अन्य विविध चार्ज इत्यादि) की भी मांग की जावेगी। 10. निविदा स्वीकृति पश्चात आवंटन पत्र जारी किया जायेगा जिसकी मांग राशि पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर जमा करानी होगी, अन्यथा जमा राशियां जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। 11. प्रस्तावित मूल्य रु.05.00 लाख से अधिक होने के कारण आवेदक को आयकर का पेन नम्बर लिखना अनिवार्य है। 12. एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में निविदा खोली नहीं जायेगी अथवा मान्य नहीं होगी। 13. अनुसूचित जाति/ अनु.जनजाति के लिये आरक्षित सम्पत्ति के आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

**निविदा प्राप्ति अधिकारी एवं सम्पर्क सूत्र**

परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ, उप खण्ड टॉक, मो.: 9983993920

मुहरबंद प्रस्ताव की अन्य शर्तें निविदा प्राप्ति अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।



**राजस्थान आवासन मण्डल**

जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141-2740371

Website